Divisional level have been issued in respect of a number of Divisions. Some of these offices have also shifted, others are in the process of shifting.

Public Schools

*1093. Shri G. S. Mishra:
Shri Molahu Prasad:
Shri Sheopujan Shastri:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) the reasons for giving recognition and awarding aid and/or support, if any, to the public schools which are run for the benefit of the children of the rich;

(b) when the policy of recognition and support to these schools was adopted by Government and the specific benefit accruing to the country from such schools; and

(c) whether Government propose to revise the policy of giving recognition and support to the public schools?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) The Central Government does not give any maintenance grants to Public Schools.

The question of the Government giving recognition to such schools, therefore, does not arise.

For its recognition as a Public School, a school has to be a member of the Indian Public Schools Headmasters' Conferene which is a non-government organisation. For educational purposes its recognition depends on the schools fulfilling the conditions prescribed by the Board/Agency for whose examinations it seeks to prepare its students.

(b) and (c). Do not arise.

दिल्ली के कालिजों में दाखिला

1094. श्री रामावतार शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री नरदेव स्नातक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने यह निर्णय किया है कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इस वर्ष कालेजों में दाखिला नहीं मिलेगा;

(ख) क्या परीक्षा फल घोषित हो जाने के बाद इस प्रकार की घोषणा करना अनुचित नही है;

(ग) इस वर्ष कितने विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिलेगा तथा क्या 40 प्रतिशत से कम अंकों संबंधी निर्णय अगले वर्ष तक के लिये स्थगित नही किया जा सकता; और

(घ) इसके सम्बन्ध मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) यह निर्णय कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के पूर्णयोग में 40 प्रतिशत अंक दिल्ली कालेजों में दाखिले की योग्यता के लिए कम से कम माने जायेंगे, 20 सितम्बर, 1963 को दिल्ली विश्वविद्यालय-विद्या परिषद् की बैठक में लिया गया था और 1964-65 के शैक्षिक वर्ष के दौरान अमल में आ गया था। तब से इस निर्णय में कोई परिवर्तन नही हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विश्वविद्यालय एक स्वायत्त-शासी निकाय है और अपने अध्ययन पाठ्यक्रमों में दाखले के लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करने के लिए सक्षम है।